न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 382 सन 2019

अनवान :–

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मोहणा जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मोहणा पुत्र जीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भागमल पुत्र मोहणा जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. किस्तुरी 4 विध्या 5 निको 6. कमला 7. साावित्री 8. रूकमा पुत्रीयान मोहणा जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. नथुराम पुत्र चान्दकोर पुत्री मोहणाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. सन्तोष पुत्री चान्दकोर पुत्री मोहणाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पराकार राज

निर्णय दिनांक :– 28/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 425/409 के खसरा न0 726/2 की 1.5430हैक एवं खसरा न0 459/3 की 10.1170हैक कुल 11.6600हैक एवं खाता संख्या 622/441 की कुल 8.8400हैक भूमि सयुक्त तौर से 220 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 भी 97 वर्षो का हो चुका है वादी के दादा जीराम पुत्र मामराज के नाम रोही मौजा सोनडी मे अन्य खातो में खातेदारी भूमि है वादी के दादा ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों व ग्राम सोनडी की पैतृक भूमि की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि रोही मौजा सोनडी की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा जीराम पुत्र मामराज ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बरावर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 वादी की बहने एवं मृतक बहन के वारिस है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है जो वर्तमान में 97 वर्षो का हो चुका है जो भूमि काश्त करने में असमर्थ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादी के खातेदार अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता जीराम पुत्र मामराज ने रोही मौजा सोनडी की पैतृक भूमि एव सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का पिता/पति है के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 10 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं पिता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों /पुत्रों के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 425/409 के खसरा न0 726/2 की 1.5430हैक एवं खसरा न0 459/3 की 10.1170हैक कुल 11.6600हैक एवं खाता संख्या 622/441 की कुल 8.8400हैक भूमि सयुक्त तौर से 220 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 भी 97 वर्षो का हो चुका है वादी के दादा जीराम पुत्र मामराज के नाम रोही मौजा सोनडी मे अन्य खातो में खातेदारी भूमि है वादी के दादा ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों व ग्राम सोनडी की पैतृक भूमि की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि रोही मौजा सोनडी की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वादी के दादा जीराम पुत्र मामराज ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक साम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 वादी की बहने एवं मृतक बहन के वारिस है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है जो वर्तमान में 97 वर्षो का हो चुका है जो भूमि काश्त करने में असमर्थ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 425/409 के खसरा न0 726/2 की 1.5430हैक एवं खसरा न0 459/3 की 10.1170हैक कुल 11.6600हैक एवं खाता संख्या 622/441 की कुल 8.8400हैक भूमि सयुक्त तौर से 220 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा जीराम पुत्र मामराज ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी में होगी पैतृक सम्पति होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 425/409 के खसरा न0 726/2 की 1.5430हैक्‍ एवं खसरा न0 459/3 की 10.1170हैक्‍ कुल 11.6600हैक्‍ एवं खाता संख्या 622/441 की कुल 8.8400हैक्‍ भूमि सयुक्त तौर से 220 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/07/20[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1 जगदीश प्रसाद पुत्र मोहणा जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 मोहणा पुत्र जीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 भागमल पुत्र मोहणा जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3 किस्तुरी 4 विध्या 5 निको 6. कमला 7. साावित्री 8. रूकमा पुत्रीयान मोहणा जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. नथुराम पुत्र चान्दकोर पुत्री मोहणाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ
10 सन्तोष पुत्री चान्दकोर पुत्री मोहणाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 17 सन 2020 निर्णय दिनांक– 28/7/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 425/409 के खसरा न0 726/2 की 1.5430हैक एवं खसरा न0 459/3 की 10.1170हैक कुल 11.6600हैक एवं खाता संख्या 622/441 की कुल 8.8400हैक भूमि सयुक्त तौर से 220 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner